न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 93/2012 तारीख रजू :– 18.05.2012

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मोतीलाल बनाम तहसीलदार व अन्य

मुकदमा नं0 68/2005 उनवानी मोतीलाल बनाम बनाम तहसीलदार व अन्य दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 एवं धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–1. श्री सन्तोष कुमार मुदगल एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिंनाक :– 26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/ वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 एवं धारा 151 जा0दी0 के तहत पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थी/वादी ने एक दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा व खिलाफ अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण तहसीलदार हिण्डौन घनश्याम पुत्र चिरमोली जाति जाट बाई जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश कर निवेदन किया कि दावा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 999/290 में जो 9 ऐयर भूमि आराजी खसरा नम्बर 291/275 रकबा 16 ऐयर, स्थित ग्राम बाई जट्ट राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती फरमायी जावे। एवम् वाद इन्द्राज दुरूस्ती वादी को आराजी खसरा नम्बर 999/290 में रकबा 9 ऐयर स्थित ग्राम बाई जट्ट तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उसकी आराजी खसरा नम्बर 291/975 रकबा 16 ऐयर एवम् खसरा नम्बर 999/290 रकबा 9 ऐयर आराजी स्थित ग्राम बाई जट्ट तहसील हिण्डौन को शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं करे तथा प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें, ना ही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक वादी व उक्त आराजी को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी पर दबाव डालकर एवम वादी के वकील साहब ने प्रतिवादीगण से साज कर वादी से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर कपट पूर्ण तरीके से दिनांक 15.09.2005 को एक राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 291/975 रकबा 16 ऐयर स्थित ग्राम बाई जट्ट का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा साविक खसरा नम्बर 183/1 रकबा 1 बीघा जिसका मौजूदा खसरा नम्बर 291/975 रकबा 16 ऐयर सिवायचक व शेष रकबा 9 ऐयर रास्ता आम खसरा नम्बर 290 का एक भाग है, जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण की खातेदारी की जमीन से वादी का कोई संबंध नहीं रहेगा।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त राजीनामा के आधार पर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 03.05.2011 को यह दावा डिक्री कर पत्रावली फैसल शुमार फरमा दी गयी।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थी वादी 67 साल का बुजुर्ग ग्रामीण अनपढ़ आदमी है, जो कानून कायदों से अनभिज्ञ है, एवम् केवल हस्ताक्षर करना जानता है, प्रार्थी का दिमाग बुजुर्गावस्था में कम काम करता है, प्रतिवादीगण ने वकील वादी से साज कर कमजोरी दिमागी हालत का फायदा उठाकर प्रार्थी से राजीनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये है, ना ही तो राजीनामा को प्रार्थी के वकील साहब ने और ना ही प्रतिवादीगण ने प्रार्थी को राजीनामा ना तो पढ़कर सुनाया और ना ही समझाया और ना ही यह बताया कि राजीनामा पर क्या लिखा है, और प्रार्थी के वकील साहब से साज कर प्रार्थी की पहचान करवा ली।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 3 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया है कि कोई करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन शून्य या शून्यकरणीय है, इस नियम के अन्तर्गत विधिपूर्ण नहीं समझा जावेगा। और चूंकि प्रार्थी को भुलावे में डालकर प्रार्थी के वकील साहब से साज कर कपटपूर्ण तरीके से राजीनामा पेश कर तस्दीक करा लिया है, प्रार्थी उक्त राजीनामा से बाध्य नहीं है एवम राजीनामा निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 जाट जाति के व्यक्ति है, जिनका गांव में बाहुल्य है, एवम लठैत व्यक्ति है, जबकि प्रार्थी एक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिवक्ता श्री एस.एल.चौधरी के द्वारा की गई है। उक्त राजीनामा को उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 68/2005 उनवानी मोतीलाल बनाम सरकार आदि में पारित डिक्री दिनांक 22.09.2011 के अनुसार दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 291/975 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि भूमि कमाण्ड क्षेत्र में होने पर रिकार्ड में अमल करने से पूर्व कमाण्ड क्षेत्र में राज्य सरकार से निर्धारित आरक्षित मूल्य जमा करावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 68/2005 उनवानी मोतीलाल बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2011 के अनुसार दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् धारा 136 एल.आर. एक्ट, 88, 188 आर.टी. एक्ट के तहत डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 291/975 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि भूमि कमाण्ड क्षेत्र में होने पर रिकार्ड में अमल करने से पूर्व कमाण्ड क्षेत्र में राज्य सरकार से निर्धारित आरक्षित मूल्य जमा करावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें। वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुकदमा नं0 68/2005 उनवानी मोतीलाल बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2011 व डिक्री दिनांक 22.09.2011 मुताविक राजीनामा दिनांक 15.09.2005 के आधार पर किया गया है। उक्त राजीनामा पर वादी के हस्ताक्षर है, वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री एस.एल.चौधरी के द्वारा की गई है। उक्त राजीनामा को उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा तस्दीक किया गया है। वादी मोतीलाल पढा लिखा व्यक्ति है, जिसने उक्त राजीनामा को पढ व समझकर राजीनामा पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार यह सही है कि वादी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया था तथा मुताविक राजीनामा के आधार पर ही वादी का दावा डिक्री किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री को विद्ड्रो करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 एवं धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 एवं धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली